Talaaq Ke Aasaan Masaail (Hindi)

तलाक़

के आसान मसाइल

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े तृरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (اَلْمُسْتَطْرَف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

तृालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

तृलाक़ के आसान मसाइल

येह रिसाला (**तृलाक़ के आसान मसाइल**)

मुफ़्ती मुह़म्मद क़ासिम अ़त्तारी अल म-दनी مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है, जिसे मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने पेश किया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तृलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

तलाक़

के आसान मसाइल

मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद क़ासिम अत्तारी

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद

नाम किताब : तलाक़ के आसान मसाइल

मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती क़ासिम अ़त्तारी

सिने तबाअ़त : मुहर्रमुल ह़राम 1435 सि.हि.

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना अह़मदआबाद

ता'दाद : 5000

मक-त-बतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19, 20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुह़म्मद अ़ली सराय रोड (C / 0) जामिअ़तुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपुर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे़ दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली – 580024. फ़ोन : 09343268414

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

अल मदीनतुल इल्मिय्या

अज़ शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

الحمد لله علٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صلى الله تعالٰى عليه وسلم

तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक "**दा'वते इस्लामी**" नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब ह़ुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअ़द्दद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़-लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छ शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत
(2) शो'बए तराजिमे कुतुब
(3) शो'बए दर्सी कुतुब
(4) शो'बए इस्लाही कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब
(6) शो'बए तख़्रीज

"**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल ब-र-कत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिद्अ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइसे ख़ैरो ब-र-कत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अलह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वस्अ़ सह्ल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती म-दनी काम में हर मुम्किन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ा-लआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ "**दा'वते इस्लामी**" की तमाम मजालिस ब शुमूल "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़-मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

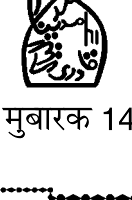

र-मज़ानुल मुबारक 1425 हि.

मुक़द्दमा

दीने इस्लाम कामिल व अक्मल ज़ाबित़ए ह़यात है । हमारे मुआ़-श-रती व इन्फ़िरादी इरतिक़ा का मदार क़ानूने इस्लामी पर अ़मल में है । ज़िन्दगी के हर शो'बे से मु-तअ़ल्लिक़ रहनुमा उसूल मौजूद हैं । अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- (المائدة:٣)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ''आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया ।''

दीने इस्लाम ने दीगर शो'बाहाए ज़िन्दगी के इ़लावा ख़ुसूसिय्यत के साथ फ़र्द की शख़्सी ता'मीर पर ज़ोर दिया है ताकि इन्सान की निजी, ख़ानदानी और तमद्दुनी मुआ़-शरत हर क़िस्म के सुक़्म से मह़फ़ूज़ रहे । क़वानीन व अह़कामे शरीअ़त को नाफ़िज़ करने के लिये सरकारे दो जहां عَلَيْهِ الطَّيِّبُ التَّحِيَّةُ وَاَجْمَلُ الثَّنَاء की ह़याते मुक़द्दसा का उस्वा व नमूना हमारे लिये मश्अ़ले राह है ।

इस्लाम ने फ़र्द का एह़तिराम किया इसे अपनी मरज़ी से परवान चढ़ने और आज़ादाना ज़िन्दगी गुज़ारने की इजाज़त दी मगर कुछ ह़ुदूद मुक़र्रर फ़रमाईं । मुआ़-श-रती इरतिक़ा इन्फ़िरादी व शख़्सी ता'मीर में मुज़्मर है और येह उसूल किसी ज़ी फ़ह़्मो फ़िरासत से पोशीदा नहीं कि फ़र्द ही से मुआ़-शरा तक्मील पाता है । मुआ़-शरे के अफ़राद बाहम मु-तअ़ल्लिक़ होते हैं और इन के इस तअ़ल्लुक़ को मुख़्तलिफ़ अन्वाअ़

के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ नाम दिये जाते हैं और इस सिल्सिले में अहम तरीन तअ़ल्लुक़ ज़ौजैन का भी है। इस की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ा इस बात से हो सकता है कि येही रिश्ता क़ौमों में बाहम तअ़ल्लुक़ का सबब बना और बन रहा है।

इस्लाम का मन्शा येह है कि जो अफ़रादे मुआ़-शरा बाहम इज़्दिवाजी रिश्ते से मुन्सलिक हो जाएं उन के तअ़ल्लुक़े निकाह़ को क़ाइम रखने की ह़त्तल मक़्दूर कोशिश की जाए और इन की बाहमी मुआ़-शरत ऐसी हो कि जिस से इन्सानी मुआ़-शरे का क़स्रे रफ़ीअ़ ता'मीर हो। अल्लाह جَلَّ مَجْدُهُ الْكَرِيْم फ़रमाता है :

''هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ'' (البقرة/١٨٧) **तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान :** ''वोह तुम्हारी लिबास हैं और तुम उन के लिबास।''

जिस त़रह़ लिबास पर्दा है उ़यूब को छुपाता है, ज़ीनत है हुस्नो जमाल को निखारता है। राह़त है सर्दी व गर्मी से बचाता है बि ऐ़निही, मियां बीवी एक दूसरे के लिये पर्दा, ज़ीनत और राह़त हों और यूं मिल्लते इस्लामिया का हर घर जन्नत नज़ीर बन जाए। इस के बर अ़क्स अगर अ़दम मुवा-फ़क़त व मुख़ा-लफ़त की कैफ़िय्यत पैदा हो जाए या बाहमी मुना-फ़रत जनम ले तो अरबाबे ह़ल्लो अ़क़्द इस इख़्तिलाफ़ व अ़दम इत्तिफ़ाक़ की बैख़ कुनी की भरपूर सअ़्य करें। और उन्हें ज़ेहनी तौ़र पर यक्जा करें क्यूं कि ज़ेहनी हम-आहंगी न होने की वजह से इब्तिदा अ़दम मुवा-फ़क़त और फिर बाहमी मुना-फ़रत व तनाज़ुआ़त की कैफ़िय्यत हो जाती है। जिस की वजह से येह पाकीज़ा रिश्ता क़ाइम रखना मुश्किल

बल्कि बा'ज़ अवक़ात ना मुम्किन हो जाता है। होना तो येह चाहिये कि येह रिश्तए इज़्दिवाज क़ाइम रहे लेकिन जब क़वी अन्देशा हो कि अ़दम मुवा-फ़क़त की वजह से वोह बाहम हुदूदुल्लाह क़ाइम न रख सकेंगे और निकाह़ के फ़वाइदो स-मरात फ़ौत हो जाएंगे तो इस्लाम ने त़लाक़ और इस के मु-तअ़ल्लिक़ात का एक ऐसा मरबूत़ निज़ाम अ़ता फ़रमाया है कि जिस के अपने उसूलो ज़वाबित़ हैं, इन में भी इन्सान की फ़ौज़ो फ़लाह़ पोशीदा है मगर अफ़्सोस अ़वामुन्नास, अपनी ला इल्मी व जहालत की वजह से इस निज़ाम के चश्मए साफ़ी से सैराब होने से मह़रूम हैं। त़लाक़ के हथियार को बे दरेग़ इस्ति'माल करने की वजह से मुआ़-शरे का अम्नो सुकून और आ'ला अक़्दार रू ब ज़वाल हैं। मुआ़-श-रती ज़िन्दगी में सख़्त बेचैनी व इज़्तिराब है। दिल ख़राश और जज़्बात को लहू लुहान करने वाले बीसियों वाक़िआ़त हमारे सामने हैं। जिन्हें देख कर दिल कांप उठता है और रूह़ पर ग़मो अन्दोह छा जाता है। ज़रूरत है कि मसाइले त़लाक़ को आ़म फ़ह्म अन्दाज़ में अ़वामुन्नास में पेश किया जाए।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! इस मुआ़-श-रती ज़रूरत को मह़सूस करते हुए रब्बे काएनात عَزَّوَجَلَّ के करम और मह़बूबे करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के तुफ़ैल बरादरे मोह़तरम मुफ़्ती मुह़म्मद क़ासिम क़ादिरी साह़िब ने, अल्लाह तआ़ला इन के उ़लूम और फ़ुयूज़ो ब-रकात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, मुसल्मान भाइयों की ख़ैर ख़्वाही के इस निज़ाम को मु-तआ़रिफ़ करवाने के लिये येह किताब तालीफ़ फ़रमाई जो कि आसान, आ़म फ़ह्म और इन्तिहाई सलीस अन्दाज़ में होने के बा वुजूद रब्त़ो रवानी, फ़िक़्ही गहराई व घिराई

और जामिइय्यत को अपने जिलौ में लिये हुए है।

اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ इस किताब पर अ़मल करने से त़लाक़ के ग़लत़ इस्ति'माल की वजह से मुआ़-शरे में नफ़्रत व अ़दावत का जो रिस्ता हुवा नासूर क़लक़ और इफ़्तिराक़ के जरासीम फैला रहा है इस के लिये मरहम का काम देगी।

दुआ़ है कि अल्लाह व रसूल عَزَّوَجَلَّ وصَلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم की बारगाहे बेकस पनाह में येह किताब मक़्बूल हो और मुसल्मानों के लिये मुफ़ीद हो। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم

मुह़म्मद नईम अल अ़त्तारिय्युल म-दनी

9, जुमादल अव्वल 1424 सि.हि. ब मुत़ाबिक़ 8 जूलाई 2003 सि.ई.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

सुवाल नम्बर 1 :- एक शादी शुदा आदमी को त़लाक़ के मसाइल सीखना ज़रूरी हैं या नहीं ?

जवाब :- हर शख़्स को उन मसाइल का सीखना ज़रूरी है जिस की उसे मौजूदा वक़्त में ज़रूरत और जिन चीज़ों के साथ इस का तअ़ल्लुक़ है म-सलन नमाज़ी के लिये नमाज़ के फ़राइज़, वाजिबात और नमाज़ को फ़ासिद या नाक़िस करने वाली चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। यूंही रोज़ा रखने वाले के लिये रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तिजारत करने वाले के लिये ख़रीदो फ़रोख़्त के मसाइल जानना ज़रूरी है। औ़रतों के लिये हैज़ो निफ़ास और शोहर के हुक़ूक़ के मु-तअ़ल्लिक़ मसाइल जानना ज़रूरी है। और शोहर के लिये बीवी के हुक़ूक़ और मख़्सूस अय्याम में उस के क़रीब जाने के मसाइल सीखना ज़रूरी है। इसी त़रह़ त़लाक़ के मसाइल हैं। कि जब तक त़लाक़ का मौक़अ़ नहीं आया तब तक त़लाक़ के मसाइल सीखना ज़रूरी नहीं लेकिन जब त़लाक़ का इरादा हो उस वक़्त ज़रूरी है कि त़लाक़ के मसाइल सीखे कि त़लाक़ किस त़रह़ दे ? किन ह़ालात में त़लाक़ देना जाइज़ है ? कितनी त़लाक़ें देना जाइज़ हैं ? त़लाक़ के और मसाइल क्या हैं ? वग़ैरा। लिहाज़ा जो शख़्स भी त़लाक़ का इरादा करे तो उस वक़्त उसे त़लाक़ के मसाइल जानना ज़रूरी हैं। और इस से पहले मुस्तह़ब हैं कि मौजूदा ह़ाजत से ज़ाइद मसाइल का सीखना मुस्तह़ब है।

(ख़ुलासा अज़ फ़तावा र-ज़विय्या ग़ैर मुख़र्रजा, जिल्द दहुम 10 , स. 16)

सुवाल नम्बर 2 :- क्या बिला वजह औरत को तलाक़ देना जाइज़ है ?

जवाब :- बिला ज़रूरत औरत को तलाक़ देना जाइज़ नहीं आज कल मा'मूली मा'मूली बातों पर औरत को तलाक़ दे देते हैं और बा'द में उ-लमाए किराम के पास जा कर रोते हैं। पहले ही सोच समझ कर ऐसा नाज़ुक फ़ैसला करना चाहिये । अबू दावूद शरीफ़ में हदीसे पाक है : "अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में सब से ना पसन्दीदा हलाल काम तलाक़ देना है।" (مشکوٰۃ ص۲۸۳) इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 5 किताबुत्तलाक़ के सफ़हा नम्बर 1 पर और सदरुश्शरीअह मौलाना अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने फ़तावा अम्जदिय्या 2/164 पर बिला ज़रूरत तलाक़ देने को मम्नूअ़ व गुनाह क़रार दिया है।

सुवाल नम्बर 3 :- क्या औरत के लिये तलाक़ का मुता-लबा करना जाइज़ है ?

जवाब :- अगर ज़ौज व ज़ौजा में ना इत्तिफ़ाक़ी रहती है और येह अन्देशा हो कि अहकामे शरइय्या की पाबन्दी न कर सकेंगे, तो औरत शोहर के साथ ख़ुलअ़ कर के तलाक़ ले सकती है लेकिन शोहर की तरफ़ से किसी क़िस्म की अज़िय्यत के बिग़ैर औरत का उस से तलाक़ का मुता-लबा हराम है चुनान्चे हदीसे मुबारक में है : "जिस औरत ने अपने शोहर से बिग़ैर शदीद ज़रूरत के तलाक़ का मुता-लबा किया उस पर जन्नत की ख़ुश्बू हराम है।" (مشکوٰۃ ص۲۸۳) आज कल औरतें आ'ला क़िस्म का खाना न मिलने पर, मेकअप का सामान न मिलने पर, रिश्तेदारों के हां जाने की इजाज़त

न मिलने पर, मुश्तरिका घर में जुदा कमरा मिलने के बा वुजूद अ़लाह़िदा घर का मुत़ा-लबा पूरा न होने पर और इसी क़िस्म की दीगर मा'मूली मा'मूली बातों पर त़लाक़ का मुत़ा-लबा करती हैं येह ना जाइज़ व गुनाह है और ऐसी औ़रतें मज़्कूरा बाला वई़द की मुस्तह़िक़ हैं। और ऐसे ही वोह मां बाप और बहन भाई और दीगर रिश्तेदार जो औ़रत को मज़्कूरा वुजूहात की बिना पर त़लाक़ लेने पर उभारते हैं और शोहर को धमकाते और उस से त़लाक़ का मुत़ा-लबा करते हैं और औ़रत को जब्रन घर (मयके) में बिठा लेते हैं वोह सब भी इस गुनाह और वई़द में शरीक हैं। और बा'ज़ अह़ादीस में बिला वजह त़लाक़ का मुत़ा-लबा करने वाली औ़रतों को मुनाफ़िक़ा क़रार दिया है।

सुवाल नम्बर 4 :- क्या औ़रत बज़ाते ख़ुद कोर्ट से त़लाक़ ले सकती है?

जवाब :- त़लाक़ का इख़्तियार शरीअ़त ने मर्द को दिया है। इस के इ़लावा कोई दूसरा त़लाक़ नहीं दे सकता। आयते मुबा-रका है اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة۲۳۷) "**तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान :** (वोह) जिस के हाथ में निकाह़ की गिरह है" और ह़दीसे मुबारक है اَلطَّلَاقُ لِمَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ "त़लाक़ का मालिक वोही है जो औ़रत से जिमाअ़ करे।" लिहाज़ा अगर कोर्ट ने शोहर के त़लाक़ दिये बिग़ैर यक त़रफ़ा औ़रत के ह़क़ में फ़ैसला कर के त़लाक़ दे दी तो उसे त़लाक़ न होगी और उस औ़रत का दूसरी जगह निकाह़ करना ह़राम व ज़िना है।

सुवाल नम्बर 5 :- औ़रत को किन ह़ालात में त़लाक़ देना गुनाह नहीं?

जवाब :- औ़रत शोहर को या शोहर के दीगर रिश्तेदारों को तक्लीफ़

पहुंचाती है या नमाज़ नहीं पढ़ती है या औरत बे ह़या व ज़ानिया है तो ऐसी सूरत में शोहर के लिये तृलाक़ देना जाइज़ है और बा'ज़ सूरतों में तो तृलाक़ देना वाजिब है म-सलन शोहर नामर्द है, या हीजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अ़मल कर दिया है कि वोह जिमाअ़ पर क़ादिर नहीं । और इस के इज़ाले की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती तो इन सूरतों में तृलाक़ देना वाजिब है जब कि औरत साथ रहने पर राज़ी न हो ।

सुवाल नम्बर 6 :- अगर तृलाक़ गुस्से में दी जाए तो वाक़ेअ़ हो जाती है या नहीं ?

जवाब :- अगर गुस्सा इस ह़द का हो कि अ़क़्ल जाती रहे या'नी आदमी की ह़ालत पागलों वाली हो जाए ऐसी ह़ालत में दी हुई तृलाक़ न होगी । लेकिन ऐसी ह़ालत हज़ारों क्या लाखों में किसी एक की होती होगी अक्सर यूं नहीं होता बल्कि गुस्से की आख़िरी ह़ालत येही होती है कि रगें फूल जाएं, आ'ज़ा कांपने लगें, चेहरा सुर्ख़ हो जाए और अल्फ़ाज़ कप-कपाएं । ऐसी ह़ालत में या इस से कम गुस्से में तृलाक़ दी तो वाक़ेअ़ हो जाएगी । और आज कल येही सूरते ह़ाल होती है । बा'द में कहते हैं : जनाब ! हम ने तो गुस्से में तृलाक़ दी थी । ऐसे ह़ज़रात की ख़िदमत में अ़र्ज़ है कि तृलाक़ उ़मूमन गुस्से में ही दी जाती है ख़ुशी और प्यार मह़ब्बत के दौरान तो शायद ही कोई तृलाक़ देता हो लिहाज़ा येह उ़ज़्र दुरुस्त नहीं ।

सुवाल नम्बर 7 :- अगर तृलाक़ के वक़्त औरत मौजूद न हो तो तृलाक़ हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :- तृलाक़ के लिये बीवी का वहां मौजूद होना ज़रूरी नहीं । शोहर

बीवी के सामने तलाक़ दे या दीगर रिश्तेदारों के सामने या दोस्तों के सामने या बिल्कुल तन्हाई में हर हाल में अगर शोहर ने इतनी आवाज़ से अल्फ़ाज़े तलाक़ कहे कि इस के कानों ने सुन लिये या कानों ने शोर वग़ैरा की वजह से सुने तो नहीं लेकिन आवाज़ इतनी थी कि अगर आहिस्ता सुनने का मरज़ या शोर वग़ैरा न होता तो कान सुन लेते ऐसी सूरत में तलाक़ वाक़ेअ़ हो जाएगी। किसी दूसरे शख़्स का मौजूद होना या बीवी या किसी दूसरे का तलाक़ के अल्फ़ाज़ सुनना कोई ज़रूरी नहीं।

सुवाल नम्बर 8 :– अगर दोस्तों से या बीवी से मज़ाक़ करते हुए बीवी को तलाक़ दे दी तो हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :– तलाक़ का मुआ़–मला ऐसा है कि मज़ाक़ में देने से भी तलाक़ वाक़ेअ़ हो जाती है। ह़दीसे मुबारक है : "तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इन में सन्जी–दगी भी सन्जी–दगी है और मज़ाक़ भी सन्जी–दगी है (या'नी मज़ाक़ में भी वोही हुक्म है जो सन्जी–दगी में है) निकाह़, तलाक़ और (तलाक़ के बा'द) रुजूअ़ करना।" (مشکوۃ ص ۲۸۴)

लिहाज़ा अगर किसी ने अपनी ह़क़ीक़ी बीवी को मज़ाक़ या फ़िल्म या डिरामे में तलाक़ दी तो भी तलाक़ हो जाएगी।

सुवाल नम्बर 9 :– अगर किसी आदमी को क़त्ल वग़ैरा की धमकी दे कर तलाक़ देने पर मजबूर किया गया और धमकी देने वाला उस धमकी को अ़–मली जामा पहनाने पर क़ादिर भी हो और उस ने तलाक़ दे दी तो तलाक़ वाक़ेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :– इस मस्अले की चन्द सूरतें हैं (1) अगर मजबूर करने पर

ज़बानी तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ हो जाएगी। (2) अगर मजबूर करने पर तहरीरी तलाक़ दी या तलाक़ के परचे पर दस्त-ख़त कर दिये और दिल में भी तलाक़ की निय्यत कर ली तो तलाक़ हो गई। (3) अगर मजबूर करने पर तहरीरी तलाक़ दी और ज़बान से कुछ न कहा और न ही दिल में निय्यत की तो तलाक़ न होगी।

सुवाल नम्बर 10 :- अगर तलाक़ के वक़्त औ़रत लेने से इन्कार कर दे या तलाक़ का परचा फाड़ दे या औ़रत का बाप या भाई तलाक़ का परचा फाड़ दे तो तलाक़ होगी या नहीं ?

जवाब :- तलाक़ के लिये औ़रत का क़बूल करना ज़रूरी नहीं। शोहर ने जब तलाक़ के अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा कर दिये तो तलाक़ वाक़ेअ़ हो गई। औ़रत या उस के घर वाले क़बूल करें या न करें। येही ह़ाल परचा फाड़ने का है अलबत्ता इसी में मज़ीद सूरतें भी हैं। जिन को तहरीरी तलाक़ में बयान करेंगे।

सुवाल नम्बर 11 :- अगर तलाक़ के वक़्त औ़रत को हैज़ या ह़म्ल हो तो तलाक़ वाक़ेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :- हैज़ और ह़म्ल दोनों ह़ालतों में तलाक़ हो जाती है अलबत्ता हैज़ की ह़ालत में तलाक़ देना गुनाह है और अगर एक या दो तलाक़ें रज्ई दी हों तो रुजूअ़ करना वाजिब है। चुनान्चे ह़दीसे मुबारक में है कि ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर رضی اللّٰہ تعالٰی عنہما ने अपनी बीवी को हैज़ की ह़ालत में एक तलाक़ दी तो नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم ने उन्हें तलाक़ से रुजूअ़ करने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि रुजूअ़ कर

के फिर तुहर या'नी पाकी के दिन गुज़र जाएं। फिर हैज़ के दिन आएं फिर जो दिन पाकी के आएं उन में तलाक़ दे। (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص ۲۸۳) लिहाज़ा जो शख़्स हैज़ की हालत में औरत को एक या दो तलाक़ें दे तो उस पर लाज़िम है कि रुजूअ करे कि इस हालत में तलाक़ देना गुनाह था अगर तलाक़ देनी है तो उस हैज़ के बा'द पाकी के दिन गुज़र जाएं फिर हैज़ आ कर पाक हो तो अब तलाक़ दे येह हुक्म उस वक़्त है कि जिमाअ से रज्अत की हो और अगर क़ौल या बोसा लेने या छूने से रज्अत की हो तो उस हैज़ के बा'द जो तुहर है उस में भी तलाक़ दे सकता है इस के बा'द दूसरे तुहर (पाकी के दिनों) के इन्तिज़ार की हाजत नहीं।

और जहां तक हम्ल में तलाक़ देने का तअल्लुक़ है तो इस सूरत में तलाक़ वाक़ेअ भी हो जाती है और इस में कुछ गुनाह भी नहीं। सिर्फ़ दूसरी सूरतों की निस्बत येह फ़र्क़ आता है कि इद्दत बच्चा जनने तक हो जाती है। ख़्वाह एक दिन बा'द जने या 9 महीने बा'द।

सुवाल नम्बर 12 :- अगर नशे या नींद में तलाक़ दी तो वाक़ेअ हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :- अगर किसी ने नशा पी कर तलाक़ दी तो हो जाएगी। नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या भंग या अफ़्यून या चरस या किसी और चीज़ से। बहर सूरत तलाक़ हो जाएगी। अलबत्ता अगर किसी ने उसे मजबूर कर के या'नी क़त्ल या उज़्व काट देने की धमकी या धोके से नशा पिला दिया या हालते इज़्तिरार में म-सलन प्यास से मर रहा था और कोई हलाल शै पीने को न थी तो ऐसी हालत में शराब वग़ैरा नशे की चीज़ पी

और उस के नशे में तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ न होगी और नींद में दी जाने वाली तलाक़ भी वाक़ेअ़ न होगी।

सुवाल नम्बर 13 :- अगर महूज़ डराने, धमकाने की निय्यत से तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :- तलाक़ देने में तलाक़ की निय्यत करना ज़रूरी नहीं। ज़बान से तलाक़ के अल्फ़ाज़ अदा हो गए तो तलाक़ हो जाएगी। ख़्वाह सन्जी-दगी से हो या मज़ाक़ से या डराने धमकाने की निय्यत से ह़त्ता कि अगर ज़बान से कोई और लफ़्ज़ कहना चाहता हो और तलाक़ के अल्फ़ाज़ निकल जाएं या लफ़्ज़े तलाक़ बोला मगर उस के मा'ना नहीं जानता या भूल कर या ग़फ़लत में तलाक़ दी हर सूरत में तलाक़ हो जाएगी। लिहाज़ा आ़म तौ़र पर लोग जो उ़ज़्र पेश करते हैं कि हमारी निय्यत तलाक़ की नहीं थी बल्कि सिर्फ़ डराना मक़्सूद था इस का कुछ ए'तिबार नहीं।

सुवाल नम्बर 14 :- अगर कोई ना बालिग़ या पागल तलाक़ दे दे या लड़की ना बालिग़ा या पागल हो तो इस सूरत में तलाक़ का क्या हुक्म है ?

जवाब :- ना बालिग़ और पागल न ख़ुद तलाक़ दे सकते हैं और न ही उन की त़रफ़ से उन के वली (सर परस्त) दे सकते हैं और येह तलाक़ वाक़ेअ़ भी न होगी क्यूं कि तलाक़ के लिये शोहर का आ़क़िल, बालिग़ होना शर्त़ है अलबत्ता अगर लड़की ना बालिग़ा या पागल है लेकिन तलाक़ देने वाला आ़क़िल व बालिग़ है तो तलाक़ हो जाएगी। ना बालिग़ लड़के का बाप जिस त़रह़ अपने बेटे का निकाह़ कर सकता है इस त़रह़ तलाक़ नहीं दे सकता।

सुवाल नम्बर 15 :- अगर त़लाक़ को किसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया तो त़लाक़ कब वाक़ेअ़ होगी ?

जवाब :- अगर त़लाक़ को किसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया म-सलन शोहर ने बीवी से कहा अगर तू फ़ुलां रिश्तेदार के घर गई तो तुझे त़लाक़ है ऐसी सूरत में अगर ओ़रत उस रिश्तेदार के घर गई तो त़लाक़ पड़ जाएगी लेकिन त़लाक़ उतनी ही पड़ेंगी जितनी उस ने कहीं म-सलन मज़्कूरा मिसाल की सूरत में उस रिश्तेदार के घर जाने से एक त़लाक़े रज्ई पड़ जाती है और अगर दो या तीन को मुअ़ल्लक़ करता तो उतनी त़लाक़ें ही पड़तीं जितनी उस ने कही थीं ।

सुवाल नम्बर 16 :- अगर कोई गुस्से में अपनी बीवी को वालिदैन या किसी और अ़ज़ीज़ के हां जाने से मन्अ़ कर दे और कहे अगर फ़ुलां के घर गई तो तुझे तीन त़लाक़ । लेकिन बा'द में इस पर पछताए और वालिदैन से मिलने की इजाज़त भी देना चाहे तो क्या करे जिस से ओ़रत वालिदैन के घर जा भी सके और तीन त़लाक़ भी न हों ?

जवाब :- शोहर को चाहिये कि ओ़रत को एक त़लाक़ दे दे फिर इद्दत गुज़रने के बा'द ओ़रत वालिदैन वग़ैरा के घर जाए फिर शोहर उस से नए सिरे से निकाह़ कर ले अब अगर ओ़रत उस साबिक़ा मम्नूआ घर जाएगी तो कोई त़लाक़ न होगी । लेकिन येह त़रीक़ा उसी वक़्त कारआमद है, जब शोहर पहले ज़िन्दगी में दो त़लाक़ें न दे चुका हो अगर पहले दो त़लाक़ें दे चुका था तो अब हरगिज़ त़लाक़ न दे कि इस सूरत में तीसरी त़लाक़ भी वाक़ेअ़ हो जाएगी । तो जिस शै से छुटकारे का इरादा था उसी में फंस

जाएगा। और तीन त़लाक़ की सूरत में ह़लाला के बिग़ैर रुजूअ़ न हो सकेगा। (बहारे शरीअ़त, 8/44)

सुवाल नम्बर 17 :- क्या त़लाक़ के इलावा भी कोई सूरत है जिस से औ़रत निकाह़ से निकल जाती है ?

जवाब :- शोहर के वफ़ात पाने से औ़रत का निकाह़ से निकल जाना तो वाज़ेह़ है अलबत्ता अगर مَعَاذَاللّٰه शोहर मुरतद या'नी काफ़िर हो जाए तो भी निकाह़ ख़त्म हो जाता है और औ़रत इ़द्दत गुज़ार कर जहां चाहे निकाह़ कर सकती है। आज कल येह सूरत भी मुशा-हदे में आई है कि लोग क़ुरआने मजीद या किसी शर-ई मस्अले को जानते हुए बुरा कह देते हैं या देवबन्दियों की कुफ़्रिय्या इ़बारतों पर मुत्तलअ़ हो कर और उन पर शर-ई हुक्मे कुफ़्र जान कर भी उन इ़बारतों के क़ाइलीन को मुसल्मान कहते हैं या कम अज़ कम काफ़िर मानने से इन्कार कर देते हैं। ऐसी सूरत में भी निकाह़ टूट जाता है और औ़रत इ़द्दत गुज़ार कर जहां चाहे निकाह़ कर सकती है। जिन देवबन्दियों को काफ़िर जानना ज़रूरी है वोह वोही हैं जिन्हों ने कुफ़्रिय्या इ़बारतें कहीं म-सलन अशरफ़ अ़ली थानवी वग़ैरा और वोह लोग काफ़िर हैं जो उन इ़बारतों पर मुत्तलअ़ हो कर भी उन्हें मुसल्मान जानते हैं। आज कल के वोह देवबन्दी जिन को अ़क़ाइद का पता ही नहीं उन्हें काफ़िर नहीं कहेंगे।

(फ़तावा र-ज़विय्या, 4/366, बहारे शरीअ़त, 7/83)

सुवाल नम्बर 18 :- त़लाक़ के लिये कौन सा लफ़्ज़ बोला जाए ?

जवाब :- त़लाक़ के लिये हमेशा एक त़लाक़ का लफ़्ज़ बोलना चाहिये।

तीन त़लाक़ें यक्बारगी हरगिज़ न दें। लिहाज़ा त़लाक़ देनी हो तो येह लफ़्ज़ कहें "मैं ने तुझे त़लाक़ दी" या कहे "मैं ने अपनी बीवी को त़लाक़ दी" या बीवी का नाम म-सलन हिन्दा है तो कहे "मैं ने हिन्दा को त़लाक़ दी" तीन त़लाक़ का लफ़्ज़ हरगिज़ न कहें।

सुवाल नम्बर 19 :- वोह कौन सी त़लाक़ है जिस के बा'द रुजूअ़ हो सकता है?

जवाब :- अगर बीवी को एक या दो त़लाक़ें दी हैं तो शोहर रुजूअ़ कर सकता है लेकिन इस की सूरत येही है कि शोहर ने बीवी को एक या दो त़लाक़ें रज्ई दी हों। म-सलन यूं कहा था "मैं ने तुझे त़लाक़ दी" या यूं कहा था "मैं ने तुझे दो त़लाक़ें दीं" या एक त़लाक़ पहले कभी ज़िन्दगी में दी थी और एक त़लाक़ अब दी तो येह दूसरी त़लाक़ हुई अब भी रुजूअ़ हो सकता है। (شامی ۵/۲۳)

सुवाल नम्बर 20 :- रुजूअ़ का क्या मत़लब है और इस का क्या त़रीक़ा है? और इस में औ़रत का राज़ी होना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब :- रुजूअ़ या रज्अ़त का मत़लब येह है कि जिस औ़रत को त़लाक़े रज्ई या'नी एक या दो त़लाक़ें दीं इ़द्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह़ पर बाक़ी रखना। रज्अ़त का त़रीक़ा येह है कि दो आ़दिल गवाहों के सामने कहे : "मैं ने अपनी बीवी से रुजूअ़ किया या मैं ने उसे वापस लिया या रोक लिया" अगर गवाहों के सामने न हो तो भी रुजूअ़ हो जाता है। रुजूअ़ का दूसरा त़रीक़ा येह है : मर्द बीवी से जिमाअ़ कर ले या शह्वत के साथ बोसा ले या शह्वत से बदन को छू ले वग़ैरहा।

रुजूअ़ में औ़रत का राज़ी होना ज़रूरी नहीं अगर्चे वोह इन्कार भी करे तब भी शोहर के रुजूअ़ कर लेने से रुजूअ़ हो जाएगा।

सुवाल नम्बर 21 :- वोह कौन सी त़लाक़ है जिस के बा'द दोबारा निकाह़ की ज़रूरत होती है ?

जवाब :- ऐसी त़लाक़ को त़लाक़े बाइन कहते हैं। म-सलन शोहर सरीह़ अल्फ़ाज़े त़लाक़ न कहे बल्कि यूं कहे "तू मुझ पर ह़राम है" या त़लाक़ की निय्यत से कहे "मैं ने तुझे आज़ाद किया या निकल या चल या जा या दफ़्अ़ हो या शक्ल गुम कर या और शोहर तलाश कर या चलती नज़र आ या बिस्तर उठा" वग़ैरहा के अल्फ़ाज़ कहे या त़लाक़ के अल्फ़ाज़ ही यूं कहे "तुझे सब से गन्दी त़लाक़" या "सब से सख़्त त़लाक़" इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहे तो इस सूरत में त़लाक़े बाइन वाक़ेअ़ होगी और इस का हुक्म येह है कि इ़द्दत के अन्दर और इ़द्दत के बा'द दोनों सूरतों में अगर मर्द औ़रत दोनों निकाह़ कर लें तो रुजूअ़ हो जाएगा। इस में ह़लाला की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इस सूरत में औ़रत से निकाह़ के लिये उस की इजाज़त व रिज़ा मन्दी ज़रूरी है अगर वोह राज़ी न हो तो निकाह़ नहीं हो सकता। यूंही अगर औ़रत को एक या दो त़लाक़ें रज्ई दी थीं और शोहर ने इ़द्दत में रुजूअ़ न किया ह़त्ता कि इ़द्दत गुज़र गई तो अब नए सिरे से निकाह़ करना पड़ेगा। तब रुजूअ़ होगा और ऐसी सूरत में औ़रत की रिज़ा मन्दी ज़रूरी है। अगर वोह राज़ी नहीं तो शोहर तन्हा रुजूअ़ नहीं कर सकता। (رد المحتار ٥/٤٠)

सुवाल नम्बर 22 :- शोहर अगर औ़रत से रुजूअ़ करे तो अब उसे कितनी त़लाक़ों का ह़क़ ह़ासिल होगा ?

जवाब :- अगर शोहर ने एक तलाक़ के बा'द रुजूअ़ किया तो दो तलाक़ों का इख़्तियार है और अगर दो तलाक़ों के बा'द रुजूअ़ किया तो एक तलाक़ का इख़्तियार है। या'नी ज़िन्दगी में उसे तीन तलाक़ों का इख़्तियार है अगर एक तलाक़ चालीस साल पहले भी दी तो वोह बिल्कुल ख़त्म न हो जाएगी दोबारा अगर तलाक़ दी तो वोह दूसरी शुमार की जाएगी फिर अगर्चे सत्तर साल बा'द तलाक़ दे वोह तीसरी शुमार की जाएगी और वोह औ़रत उस मर्द पर ह़राम हो जाएगी। अलबत्ता अगर बिलफ़र्ज़ एक या दो तलाक़ों के बा'द औ़रत ने किसी और मर्द से शादी कर ली फिर उस मर्द ने भी जिमाअ़ के बा'द तलाक़ दे दी तो अब अगर वोह औ़रत पहले शोहर से निकाह़ करे तो उसे नए सिरे से तीन तलाक़ों का इख़्तियार ह़ासिल हो जाएगा। (फ़तावा र-ज़विय्या व शामी व आ़लमगीरी)

सुवाल नम्बर 23 :- जिस औ़रत की अभी रुख़्सती नहीं हुई उसे तलाक़ दी तो क्या हुक्म है ?

जवाब :- जिस औ़रत की रुख़्सती नहीं हुई या'नी उस के साथ ऐसी तन्हाई मुयस्सर न हुई कि जिस में वोह उस से जिमाअ़ कर सके अगर इस से पहले तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ हो जाएगी अलबत्ता जिस औ़रत से ख़ल्वत हो चुकी उस में और इस ग़ैर मदख़ूला (जिस से ख़ल्वत न हुई) में येह फ़र्क़ है कि ग़ैर मदख़ूला को अगर इकठ्ठी तीन तलाक़ें दीं तो तीनों वाक़ेअ़ हो जाएंगी या'नी यूं कहा "तुझे तीन तलाक़" और अगर कहा तुझे दो तलाक़ तो दो वाक़ेअ़ होंगी। और अगर ऐसी औ़रत को यूं तलाक़ें दीं "तुझे तलाक़ है तलाक़ है तलाक़ है" या "तुझे तलाक़, तलाक़, तलाक़" या कि

"तुझे त़लाक़ है एक और एक और एक (तीन मर्तबा)" या'नी ऐसी तमाम सूरतें जिन में त़लाक़ के अल्फ़ाज़ की सिर्फ़ तक्रार करे तीन त़लाक़ें न कहे तो सिर्फ़ एक त़लाक़ वाक़ेअ़ होगी और बाक़ी लग़्व क़रार दी जाएंगी। और ख़ल्वत व तन्हाई से पहले त़लाक़ देने की सूरत में मुक़र्रर कर्दा महर का निस्फ़ दिया जाएगा म-सलन दस हज़ार रुपै मुक़र्रर हुवा तो पांच हज़ार दिया जाएगा। और अगर मुक़र्रर ही न किया गया था, तो एक जोड़ा देना वाजिब है। अगर मियां बीवी दोनों मालदार हों तो जोड़ा आ'ला द-रजे का और अगर दोनों मोह़ताज हों तो जोड़ा मा'मूली क़िस्म का और अगर एक मालदार और दूसरा मोह़ताज हो तो दरमियाने द-रजे का जोड़ा देना वाजिब है।

सुवाल नम्बर 24 :- वोह कौन सी त़लाक़ है जिस के बा'द ह़लाला के सिवा चारा नहीं ?

जवाब :- अगर शोहर ने बीवी को तीन त़लाक़ें दे दीं तो बिग़ैर ह़लाला के चारा नहीं। ख़्वाह यक्बारगी तीन त़लाक़ें दीं या जुदा जुदा कर के। हर सूरत में अब बिग़ैर ह़लाला के कोई सूरत दोबारा निकाह़ में आने की नहीं। फ़रमाने बारी तआ़ला है :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ م بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ **तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान :** फिर अगर (शोहर ने) तीसरी त़लाक़ उसे (औ़रत को) दी तो अब वोह औ़रत उसे (पहले शोहर) के लिये ह़लाल न होगी जब तक दूसरे ख़ाविन्द के पास न रहे। (البقرة٢٣٠) और येही बात बुख़ारी व मुस्लिम और दीगर

कुतुबे अहादीस में नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक सहाबी हज़रते रिफ़ाआ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ की बीवी से फ़रमाई ।

सुवाल नम्बर 25 :- ख़्वाह म ख़्वाह हलाला करवाना कैसा ?

जवाब :- हलाला की शर्त पर निकाह करना ना जाइज़ व गुनाह है । हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हलाला करने वाले और जिस के लिये हलाला किया गया उस पर ला'नत फ़रमाई । (مشکوٰۃ شریف)

सुवाल नम्बर 26 :- हलाला की क्या सूरत है कि जिस में गुनाह न हो ?

जवाब :- अगर निकाह में हलाला की शर्त न रखी जाए तो गुनाह नहीं म–सलन कोई क़ाबिले ए'तिमाद आदमी है उस के सामने सारी सूरते हाल बयान कर दी जाए तो वोह औरत से इद्दत गुज़रने के बा'द निकाह कर ले और निकाह में हलाला की शर्त न रखी जाए फिर वोह आदमी निकाह के बा'द जिमाअ कर के तलाक़ दे दे तो इस में कोई कराहत नहीं बल्कि अगर अच्छी निय्यत है तो अज्र का मुस्तहिक़ है फिर पहला शोहर औरत की इद्दत गुज़रने के बा'द उस से निकाह कर ले ।

(बहारे शरीअत, 8/72)

सुवाल नम्बर 27 :- क्या एक वक़्त में तीन तलाक़ें दी जा सकती हैं

जवाब :- एक वक़्त में तीन तलाक़ें देना गुनाह है चुनान्चे नसाई शरीफ़ में हदीस है, हज़रते महमूद बिन लुबैद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ रिवायत करते हैं, कि नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में एक शख़्स के बारे में ज़िक्र किया गया जिस ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें

इकठ्ठी दे दी थीं तो नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم इन्तिहाई जलाल में खड़े हो गए और फ़रमाया क्या वोह शख़्स अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की किताब के साथ खेलता है हालां कि मैं उन के दरमियान मौजूद हूं । हत्ता कि एक आदमी ने खड़े हो कर कहा : या रसूलल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم क्या मैं उसे क़त्ल कर दूं ? (مشکوٰۃ ۲۸۴)

लिहाज़ा तीन तलाक़ें इकठ्ठी न दी जाएं कि गुनाह है अलबत्ता अगर किसी ने तीन तलाक़ें इकठ्ठी दे दीं तो यक़ीनन वाक़ेअ़ हो जाएंगी । जैसा कि मज़्कूरा बाला ह़दीस में मौजूद है । इस मस्अले की तफ़्सील कि एक मजलिस में दी गई तीन तलाक़ें तीन होती हैं कुतुबे उ-लमाए अहले सुन्नत में मौजूद है नीज़ इस के लिये दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत कन्ज़ुल ईमान मस्जिद बाबरी चौक (गुरू मन्दिर) कराची से भी तफ़्सीली मुदल्लल फ़तवा हासिल किया जा सकता है ।

सुवाल नम्बर 28 :- क्या तीन तलाक़ों के बा'द ख़ानदान के बड़े लोग सुल्ह करवा सकते हैं अगर नहीं तो जो लोग ग़ैर मुक़ल्लिदीन से फ़तवा ले कर दोबारा साबिक़ा बीवी को घर में रख लेते हैं उन के बारे में शरीअ़त का क्या हुक्म है ?

जवाब :- जब तीन तलाक़ों के बा'द कुरआन व ह़दीस के फ़रामीन से औरत का मर्द पर ह़राम होना साबित है तो ख़ानदान के बड़े या ग़ैर मुक़ल्लिदीन हरगिज़ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के ह़राम को ह़लाल नहीं कर सकते । तीन तलाक़ों के बा'द बिग़ैर ह़लाले के बीवी रखना ह़राम है और बे ग़ैरती है । और ऐसी औरत से मर्द का जिमाअ़ करना ह़राम व ज़िना

है। और इस ज़िना के गुनाह में मर्द व औ़रत, ख़ानदान के सुल्ह़ कराने वाले लोग और ग़ैर मुक़ल्लिद सब शामिल हैं। और इस बे ग़ैरती में सब शरीक हैं। और येह ऐसा ज़िना होगा जो सारी ज़िन्दगी होता रहेगा। कि जब वोह मर्द व औ़रत मियां बीवी नहीं तो उन का जब भी मियां बीवी वाला तअ़ल्लुक़ होगा वोह ज़िना ही होगा। और हर मर्तबा सब अफ़राद गुनाह में शरीक होंगे। लिहाज़ा ज़रूरी है कि जब भी औ़रत को त़लाक़ दें तो एक त़लाक़ दें और फिर छोड़ दें ह़त्ता कि इ़द्दत गुज़र जाए ताकि अगर बा'द में सुल्ह़ का इरादा बने तो बिग़ैर ह़लाला के सुल्ह़ हो सके।

सुवाल नम्बर 29 :- जो बिग़ैर ह़लाला के साबिक़ा बीवी को रखे उस के साथ रिश्तेदारों को क्या सुलूक करना चाहिये ?

जवाब :- ऐसे शख़्स से रिश्तेदारों को क़त़्ए़ तअ़ल्लुक़ करना चाहिये। उस से लैन दैन, बातचीत और शादी व ग़मी में आना जाना बन्द कर दें। ताकि वोह मजबूर हो कर इस ज़िनाकारी से बाज़ आ जाए। हुक्मे ख़ुदा वन्दी है "وَ اِمَّا یُنۡسِیَنَّکَ الشَّیۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّکۡرٰی مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ"

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो कहीं तुझे शैत़ान भुलावे तो याद आए पर ज़ालिमों के पास न बैठ।" (الانعام/۶۸)

सुवाल नम्बर 30 :- त़लाक़ देने का शर-ई त़रीक़ा क्या है ?

जवाब :- त़लाक़ देने का सब से अच्छा त़रीक़ा येह है कि बीवी को उन पाकी के दिनों में जिन में औ़रत से जिमाअ़ न किया हो एक त़लाक़ दी जाए और छोड़ दिया जाए ह़त्ता कि इ़द्दत के दिन गुज़र जाएं और इस से कम अच्छा त़रीक़ा मु-तअ़द्दद सूरतों पर मुश्तमिल है : (1) जिस औ़रत

से ख़ल्वत न हुई उस को त़लाक़ दी जाए अगर्चे हैज़ के दिनों में हो। (2) जिस से ख़ल्वत हो चुकी उस को तीन तुहरों (पाकी के दिनों में) तीन त़लाक़ें दी जाएं हर त़लाक़ एक तुह्र में वाक़ेअ़ हो और किसी तुह्र में औ़रत से जिमाअ़ न किया हो और न ही हैज़ के दिनों में औ़रत से जिमाअ़ किया हो (3) वोह औ़रत जिसे हैज़ नहीं आता म-सलन ना बालिग़ा या ह़ामिला या हैज़ न आने की मुद्दत को पहुंची हुई औ़रत इन सब को तीन महीनों में तीन त़लाक़ें दें अगर्चे जिमाअ़ करने के बा'द येह सब सूरतें भी जाइज़ हैं इन में कुछ कराहत नहीं। और इस के इलावा हैज़ में त़लाक़ देना या एक ही तुह्र (पाकी के दिनों) में तीन त़लाक़ें देना या जिस तुह्र में औ़रत से जिमाअ़ किया उस में त़लाक़ देना या त़लाक़ तुह्र में दी मगर उस से पहले जो हैज़ गुज़रा उस में औ़रत से जिमाअ़ किया था या पहले वाले हैज़ में त़लाक़ दी थी या येह सब बातें नहीं मगर तुह्र में त़लाक़े बाइन दी थी या'नी वोह त़लाक़ जिस में बिग़ैर निकाह़ के रुजूअ़ नहीं हो सकता जिस की तफ़्सील (सुवाल नम्बर 21 के जवाब में) गुज़री इन सब सूरतों में त़लाक़ देना बहुत बुरा और मम्नूअ़ है। मगर सब सूरतों में त़लाक़ हो जाएगी। लिहाज़ा चाहिये कि सब से पहला त़रीक़ा इख़्तियार किया जाए। बा'ज़ लोग समझते हैं कि एक त़लाक़ शायद होती ही नहीं तीन त़लाक़ें ही सह़ीह़ त़लाक़ होती है। येह बात दुरुस्त नहीं जैसा कि मज़्कूरा बाला तफ़्सील से वाज़ेह़ हो चुका।

सुवाल नम्बर 31 :– अगर शोहर ने त़लाक़ लिख कर दी या त़लाक़ की तह़रीर पर दस्त–ख़त़ किये तो त़लाक़ वाक़ेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :- जिस तृरह ज़बानी तृलाक़ हो जाती है इसी तृरह तहृरीरी तृलाक़ भी हो जाती है बल्कि इस में मु-तअ़द्दद सूरतें हैं (1) खुद तृलाक़ का मज़्मून तहृरीर किया (2) दूसरे को मज़्मून तहृरीर करने का कहा (3) दूसरे ने अपनी तृरफ़ से तृलाक़ का कागज़ लिखा शोहर ने कागज़ पढ़ कर या मफ़्हूम जान कर रिज़ा मन्दी का इज़्हार कर दिया या दस्त-खृत् कर दिये (4) पढ़वा कर तो नहीं सुना मगर येह मा'लूम था कि इस में मेरी बीवी को तृलाक़ दी गई है इस पर रिज़ा मन्दी कर दी या दस्त-खृत् कर दिये। इन तमाम सूरतों में रिज़ा मन्दी का इज़्हार किया या दस्त-खृत् किये या अंगूठा लगाया तृलाक़ वाक़ेअ़ हो जाएगी। और तहृरीरी तृलाक़ में लिख देने से ही या लिखे हुए पर दस्त-खृत् करने थे तो दस्त-खृत् करते ही तृलाक़ हो जाएगी। वोह कागज़ औरत तक पहुंचे या न पहुंचे। और ख़्वाह येह खुद या कोई और वोह कागज़ फाड़ दे। अलबत्ता अगर तहृरीरी तृलाक़ के अल्फ़ाज़ येह हों "मेरा येह खृत् जब तुझे पहुंचे तो तुझे तृलाक़ है" तो औरत को जब तहृरीर पहुंचेगी उस वक़्त तृलाक़ होगी। औरत चाहे पढ़े या न पढ़े। और अगर उसे तहृरीर पहुंची ही नहीं म-सलन शोहर ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ तो लिख दिये मगर वोह तहृरीर भेजी नहीं या फाड़ दी या रास्ते में गुम हो गई या औरत के बाप या भाई या किसी और रिश्तेदार को पहुंची उस ने औरत तक पहुंचने से पहले ही फाड़ कर फेंक दी तो इन सब सूरतों में तृलाक़ न होगी। अलबत्ता अगर येह तहृरीर लड़की के बाप को पहुंची और उस ने वोह तहृरीर फाड़ दी तो अगर लड़की के तमाम कामों में बाप तसर्रुफ़ करता है और वोह तहृरीर उस शहर में बाप को

मिली जहां लड़की रहती है तो तलाक़ हो गई वरना नहीं।

सुवाल नम्बर 32 :- अगर मर्द ने औरत को तन्हाई में तीन तलाक़ें दीं और अब इन्कार करता है तो औरत क्या करे ?

जवाब :- शोहर ने औरत को तीन तलाक़ें दीं फिर इन्कार करे और औरत के पास गवाह न हों तो जिस तरह मुम्किन हो औरत उस से पीछा छुड़ाए महर मुआफ़ कर के या अपना माल दे कर उस से अलाहिदा हो जाए। ग़रज़ जिस तरह भी मुम्किन हो उस से कनारा कशी करे और किसी तरह मर्द न छोड़े तो औरत मजबूर है। मगर हर वक़्त इसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुम्किन हो रिहाई हासिल करे और पूरी कोशिश इस की करे कि सोहबत न करने पाए। येह हुक्म नहीं कि ख़ुदकुशी कर ले औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो मा'ज़ूर है और शोहर बहर हाल गुनाहगार है।

सुवाल नम्बर 33 :- औरत को जब तलाक़ हो जाए तो वोह क्या करे ? क्या तलाक़ के बा'द भी शोहर के ज़िम्मे औरत के कुछ हुक़ूक़ रहते हैं ?

जवाब :- औरत को जब तलाक़ हो जाए तो वोह इद्दत गुज़ारेगी और शोहर के ज़िम्मे इद्दत के दौरान औरत को रिहाइश और ख़र्चा देना लाज़िम है। औरत उसी मकान में इद्दत गुज़ारेगी जिस में तलाक़ के वक़्त शोहर के साथ रिहाइश पज़ीर थी। अगर किसी और जगह औरत गई हुई थी तो इत्तिलाअ मिलते ही शोहर के घर पहुंच जाए।

सुवाल नम्बर 34 :- औरत इद्दत कैसे गुज़ारेगी ?

जवाब :- अगर औरत को तलाक़े रज्ई हुई है तो औरत इद्दत में बनाव

सिंघार करे जब कि शोहर मौजूद हो और औ़रत को उस के रुजूअ़ करने की उम्मीद हो। और अगर शोहर मौजूद नहीं या औ़रत को शोहर के रुजूअ़ करने की उम्मीद नहीं, तो ज़ीनत न करे। और शोहर का रुजूअ़ करने का इरादा न हो तो वोह भी औ़रत के साथ ख़ल्वत में न जाए और जब औ़रत के मकान में जाए तो ख़बर दे दे या खन्खार कर जाए या इस त़रह़ कि औ़रत जूते की आवाज़ सुने।

और अगर औ़रत त़लाक़े बाइन या वफ़ात की इद्दत में है तो उसे ज़ीनत करना ह़राम है। ज़ीनत न करने का मा'ना येह है : हर क़िस्म के ज़ेवर सोने, चांदी, जवाहिर वग़ैरहा के और हर क़िस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह हों न पहने। और कपड़े और बदन पर ख़ुश्बू न लगाए। न तेल इस्ति'माल करे न कंघी करे न सियाह सुरमा लगाए यूंही सफ़ेद ख़ुश्बूदार सुरमा भी न लगाए। यूंही मेंहदी लगाना या ज़ा'फ़रान या कुसुम या गेरू के रंगे हुए कपड़े या सुर्ख़ कपड़े पहनना येह सब मम्नूअ़ हैं। अलबत्ता सर दर्द की वजह से सर में तेल लगा सकती है और मोटे दन्दानों की कंघी भी कर सकती है और आंखों में दर्द की वजह से ब क़दरे ज़रूरत सुरमा भी लगा सकती है। या'नी अगर रात को सुरमा लगाना किफ़ायत करे तो रात ही को लगाने की इजाज़त है, दिन में नहीं। और सफ़ेद सुरमा से ज़रूरत पूरी हो जाए तो सियाह सुरमा लगाना मन्अ़ है। यूंही इद्दत में चूड़ियां पहनना गले में हार या लोकिट, कानों में या नाक में कांटे बालियां पहनना सब मम्नूअ़ है। (ردالمحتار،۵/۲۱۸،۲۱۹)

दौराने इद्दत औ़रत घर से बाहर भी नहीं जा सकती अलबत्ता

अगर वफ़ात की इद्दत में हो और कस्बे हलाल के लिये बाहर जाना पड़े तो औरत दिन के वक़्त जा सकती है जब कि रात का अक्सर हिस्सा घर में गुज़ारे और येह जाना भी इस सूरत में है जब ख़र्चे के लिये रक़म न हो अगर ब क़दरे किफ़ायत रक़म है तो बाहर निकलना मम्नूअ़ । जिस मरज़ का इलाज घर में नहीं हो सकता उस के लिये भी बाहर जा सकती है । जिस मकान में इद्दत गुज़ारना वाजिब है उस को छोड़ नहीं सकती । अलबत्ता अगर शोहर या मालिकाने मकान या इद्दते वफ़ात में शोहर के वु–रसा निकाल दें या मालिके मकान किराया मांगे और किराया है नहीं या जहां माल, आबरू को सहीह अन्देशा लाहिक़ हो तो मकान बदल सकती है । (ردالمحتار ٥/٢٢٣، ٢٢٥)

सुवाल नम्बर 35 :– औरत कितने दिन इद्दत गुज़ारेगी ?

जवाब :– अगर शोहर फ़ौत हो गया तो औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत गुज़ारेगी (البقرة ٢٣٤) और अगर औरत हामिला हो तो इद्दते वफ़ात बच्चा जनना है एक घन्टे बा'द जन दे या 9 महीने बा'द (الطلاق ٤) और अगर शोहर ने औरत को तलाक़ दी हो तो इस में मु–तअद्दद सूरतें हैं (1) औरत हामिला हो बच्चा जनना इद्दत है । (الطلاق ٢٨) (2) औरत को हैज़ आता है तो मुकम्मल तीन हैज़ों का गुज़र जाना (البقرة ٢٢٨) और अगर औरत को हैज़ में तलाक़ दी हो तो उस हैज़ का ए'तिबार नहीं, बल्कि उस के बा'द नए सिरे से मुकम्मल तीन हैज़ों का गुज़रना ज़रूरी है (3) अगर औरत को हैज़ आना शुरूअ़ ही नहीं हुवा या औरत इतनी उम्र की हो चुकी है कि हैज़ आना बन्द हो गया है । तो इन की इद्दत तीन महीने है (الطلاق ٤) अलबत्ता

अगर लड़की को हैज़ नहीं आया था और वोह महीने के हिसाब से इद्दत गुज़ार रही थी, कि हैज़ शुरूअ हो गया तो अब तीन हैज़ से ही इद्दत पूरी करेगी।

वफ़ात की इद्दत तो औरत को बहर सूरत गुज़ारनी होती है औरत छोटी उम्र की हो या ज़ियादा उम्र की, शोहर से ख़ल्वत हुई या नहीं। अलबत्ता तलाक़ की इद्दत उसी सूरत में गुज़ारना पड़ेगी जब औरत से मर्द की ख़ल्वत हुई हो अगर मर्द व औरत की ख़ल्वते सहीहा नहीं हुई तो इद्दत भी नहीं बल्कि औरत तलाक़ के फ़ौरन बा'द निकाह कर सकती है।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! तलाक़ के मौज़ूअ पर चन्द मसाइल जम्अ करने की सआदत हासिल हुई, अल्लाह तआला से दुआ है कि वोह इसे अपनी बारगाहे इज़्ज़त में श–रफ़े क़बूलिय्यत अता फ़रमाए, आम अवाम के लिये फ़ाएदा मन्द और हुसूले इल्म का ज़रीआ और राक़िम के लिये मग़्फ़िरत का सबब बनाए। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّم

मुहम्मद क़ासिम अल अत्तारी عُفِیَ عَنْہُ

26 रबीउन्नूर 1424 हि. ब मुताबिक़ 29 मई 2003 ई.

achii kitaab h

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُلِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि "**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी इन्आ़मात**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

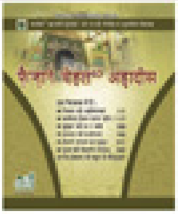

MC 1286

ISBN 978-969-579-999-4

0101173

मक-त-बतुल मदीना®

दा'वते इस्लामी

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया

Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net